



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1933 (श0)
(सं0 पटना 685) पटना, शुक्रवार, 25 नवम्बर 2011

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना

24 नवम्बर 2011

सं0 3/सी5-नीति-12/2011-3262—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम-II, 1915) की धारा-38, सह पठित धारा-89 (2)(e) तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3048, दिनांक 10 नवम्बर 2011 के द्वारा संसूचित 26 नवम्बर को प्रतिवर्ष शुष्क-दिवस घोषित किये जाने के सरकार के निर्णय के आलोक में 26 नवम्बर को प्रतिवर्ष शुष्क-दिवस के रूप में घोषित किया जाता है।

2. 26 नवम्बर को घोषित शुष्क-दिवस के अवसर पर उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों से सभी प्रकार के मदिरा की बिक्री बंद रहेगी।

3. प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को घोषित शुष्क-दिवस, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के स्तर से निर्गत अधिसूचना संख्या एस ओ0 213, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 द्वारा पूर्व से घोषित 10 (दस) शुष्क-दिवसों के अतिरिक्त होगी।

4. यह अधिसूचना, संबंधित अनुज्ञप्ति की शर्तों में सम्मिलित मानी जायेगी।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उदय सिंह कुमावत,
आयुक्त उत्पाद,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 685-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>